भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3761

दिनांक 16.07.2019

निजी बीज उद्योग और सार्वजनिक शोध संस्थान के बीच लिंकेज

3761. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र सबसे मूल्यवान जर्मप्लाज्म हेतु जिम्मेदार है, वहीं निजी बीज एजेंसियां हाई वैल्यू सीड सेग्मेंट पर अधिक बल देती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के साथ मूल्यवान जर्मप्लाज्म साझा करने हेतु स्पष्ट नयाचार बनाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसानों के लाभ हेतु निजी बीज उद्योग और सार्वजनिक शोध संस्थानों के बीच लिंकेज को बढ़ाने की गुंजाइश है जिससे दोनों क्षेत्रों के सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो निजी बीज उद्योग और सार्वजनिक शोध संस्थानों के बीच लिंकेज को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा क्या सफलता हासिल की गई है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(सिंह तोमरश्री नरेन्द्र)

(क) भाकृअप - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) अपने जीन बैंक में सबसे मूल्यवान जनन-द्रव्यों का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। एनबीपीजीआर का जीनबैंक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तथा भारत में अपनी तरह का एकमात्र जीनबैंक है जिसकी कुल

भंडारण क्षमता 2.0 मिलियन जनन-द्रव्य नमूनों का भंडारण करने की है। दिनांक 30 जून, 2019 तक राष्ट्रीय जीनबैंक में जनन-द्रव्य की कुल संख्या 4,41,728 है। अनुसंधान के प्रयोजन से एनबीपीजीआर, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, निजी बीज कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों तथा किसानों के साथ जनन-द्रव्य साझा करता है। सामान्यतया, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियाँ कम मात्रा की उच्च मूल्य वाली फसलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं दोनों प्रकार यथा उच्च मात्रा की कम मूल्य वाली तथा कम मात्रा की उच्च मूल्य वाली फसलों पर कार्य कर रही हैं।

(ख) आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (एनएबीएमजीआर) जनन-द्रव्य साझा करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए सलाहकार निकाय है। सामग्री अंतरण करार (एमटीए) पहले से ही विद्यमान है (2018 के दौरान संशोधित किया गया) तथा इसका उपयोग, वर्तमान राष्ट्रीय कानून की अनुपालना करते हुए, भारत के भीतर, निजी क्षेत्र सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ कीमती जनन-द्रव्य साझा करने के लिए नेमी रूप से किया जा रहा है। भाकृअप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) 2017 से निजी क्षेत्र के साथ जनन-द्रव्य साझा कर रहा है तथा मार्च, 2019 तक, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के साथ कुल 460 नमूने साझा किए जा चुके हैं।

(ग) जी, हां। फसल क़िस्मों के विकास और वाणिज्यिकरण के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड पहले से ही विद्यमान है। निजी बीज कंपनियाँ अपनी अनुसंधान सामग्री (क़िस्मों) का परीक्षण विभिन्न फसलों के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से करवा रही है और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र दोनों के परीक्षण स्थलों पर परीक्षण के पश्चात ये किस्में जारी और अधिसूचित की जा रही हैं।

(घ) किसानों के लाभ के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रो के खंडों के सकारात्मक पहलुओं का लाभ उठाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) की माँग पर, आगे बहुगुणन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रजनित सभी क़िस्मों के प्रजनक बीजों की आपूर्ति निजी क्षेत्र की बीज एजेंसियों को कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निजी उद्योगों के साथ संपर्कों का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। तदनुसार, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी अंतरण/ वाणिज्यिकरण (2018 में संशोधित) के लिए दिशा-निर्देश तथा भाकृअप नियम तथा पेशेवर सेवा कार्यों (प्रशिक्षण, परामर्श, संविदा अनुसंधान तथा संविदा सेवा) के लिए दिशा-निर्देश विकसित और

संस्थापित कर लिए गए हैं। ये दिशा-निर्देश सार्वजनिक -निजी क्षेत्र की साझेदारियों को विकसित करने के लिए नीति स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) द्वारा एग्रीइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड, एक पंजीकृत कंपनी भी स्थापित की गई है जिसका लक्ष्य, जनसाधारण के लाभ के लिए देश के भीतर तथा बाहर साझेदारियां बनाकर अनुसंधान तथा विकास के परिणामों के विकास तथा प्रसार को बढ़ावा देना है।

एग्रीइन्नोवेट इंडिया लिमिटेड तथा ज़ोनल टेक्नॉलॉजी मैनेजमेंट एंड बिज़नेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (ज़ेडटीएम एंड बीपीडी) इकाइयों तथा भाकृअप संस्थानों की संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सार्वजनिक क्षेत्र में प्रजनित व जारी की गई नई क़िस्मों का निजी क्षेत्र को वाणिज्यिकरण किया जाता है, जहां एक मामूली लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है तथा प्रजनक बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं।

(ङ) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) की माँग के अनुसार प्रजनक बीज पैदा किए जा रहे हैं तथा प्राइवेट बीज एजेंसियों को इनकी आपूर्ति की जा रही है। परिणामस्वरूप, बाज़ार में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण बीजों में से प्राइवेट बीज क्षेत्र लगभग 50% का योगदान कर रहा है।

किसानों के द्वार पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज समय पर उपलब्ध करवाने के लिए, उत्पादन तथा विपणन के लिए बीज कंपनियों को इन क़िस्मों के लाइसेंस प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के साथ से अधिक सहमति 500 करारों (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे उत्पादकता के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

****